बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

ज्ञापांक :–2/नि०–02/16 327(2) **/स्वा०,** बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्बर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) के पद पर विज्ञापन संख्या–15/2014 के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नांकित 08 (आठ) चिकित्सकों (मूल कोटि) के पद पर रू०–9300–34800/–(पी०बी०–2) एवं ग्रेड पे०–5400/– के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए कार्यहित में इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में पदस्थापित किया जाता है :–

क्र०सं०	अनुक्रमांक	नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	कोटि	पदस्थापन हेतु प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7
1	152576	डा० अतुल वर्मा	28.11.1971	पटना	अनारक्षित	आई०जी०आई०सी०, पटना
2	153508	डा० सुषमा कुमारी	20.10.1966	नालन्दा	अनारक्षित	आई०जी०आई०सी०, पटना
3	155416	डा० विवेका नन्द सिंह	30.12.1962	पटना	पि०व०	आई०जी०आई०सी०, पटना
4	151691	डा० अमिताभ	09.09.1972	गया	अनारक्षित	आई०जी०आई०सी०, पटना
5	154531	डा० राम प्रवेश चौधरी	09.12.1973	नालन्दा	अ०जा०	आई०जी०आई०सी०, पटना
6	150502	डा० मो० मोईनउद्दीन	05.01.1963	नालंदा	सामान्य	आई०जी०आई०सी०, पटना
7	150802	डा० दिनेश कुमार	22.03.1968	वैशाली	अ०जा०	आई०जी०आई०सी०, पटना
8	150585	डा० मुन्ना रमन	01.04.1967	पटना	अ०जा०	आई०जी०आई०सी०, पटना

2. उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि उनके पूर्व वृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण–पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायेगी तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व वृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने पर संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति नियमित की जाएगी।

3. दो वर्षो के बाद नियमानुसार चिकित्सकों की सेवा सम्पुष्ट की जाएगी। इस अवधि में आकस्मिक अवकाश छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उक्त चिकित्सकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

327(2)
30/3/2016

5. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–7834(2) दिनांक 22.11.1995 के अनुसार नियुक्त चिकित्सक नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षो की सेवा पूरी होने तक अथवा पैतालीस वर्षो की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षो के लिए (प्रशिक्षण अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा में अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उतरदायी होंगें।

6. नियुक्त चिकित्सक आवंटित संस्थान में अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान करेंगे।

7. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण–पत्र (जाति एवं अन्य प्रमाण–पत्र) के आधार पर यदि कोई नियुक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. सभी नियुक्त चिकित्सक राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करेंगे और सभी आहूत प्रशिक्षणों में निश्चित रूप से भाग लेगें।

9. वे अपने वेतन भुगतान हेतु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को प्रभार प्रतिवेदन की प्रति भेजेंगे।

10. यदि कोई चिकित्सक उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहें है तो वे पदस्थापित संस्थान में योगदान देगें और उसी दिन अध्ययन हेतु विरमित हो जायेगें। अध्ययन अवधि समाप्ति के उपरान्त वे पदस्थापित स्थान पर पुनः अपना योगदान देगें।

11. उपरोक्त चिकित्सक सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली–1977 की कंडिका–2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे एवं सम्पति का व्यौरा भी प्रस्तुत करेंगे। साथ ही वे सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2785 दिनांक 27.12.2005 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

12. जिन चिकित्सकों द्वारा जाँच के समय विभागीय अधिकृत समिति के समक्ष आवासीय प्रमाण–पत्र एवं कोई अन्य प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया हों, तो उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर वांछित प्रमाण–पत्र विभाग में अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से समर्पित कर देंगे।

13. उक्त चिकित्सकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 लागू रहेगा जिसके तहत वे प्राईवेट व्यापार या नियोजन नहीं करेंगे एवं गैर व्यावसायिक भत्ता की माँग नहीं करेंगे।

14. नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी आवंटित संस्थान में नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु सभी मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि पदस्थापन के पूर्व वे नियुक्त चिकित्सकों के सभी प्रमाण–पत्रों की गहराई से जाँच कर लेंगे और सभी प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति रख लेंगे। चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों में यदि कोई संदेह हो तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त दिया जायेगा।

327(2)
30/3/2016

15. आवंटित संस्थान में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

16. सभी नियुक्त चिकित्सक अपना योगदान एवं प्रभार ग्रहण की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा निदेशक को समर्पित करेंगे।

30/3/16

(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–2/नि०–02/16 327(2) पटना, दिनांक :– 30/3/2016

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा एवं हक) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आशुलिपिक/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट–www.health.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।